



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलैंड, कोचिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant



An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422

E-mail: commr@cochincustoms.gov.in

Fax: 0484-2668468

Ph: 0484-2666861-64/774/776

व्यापार सुविधा / TRADE FACILITY NO.12/2018

विषय: आयातकों/ सीमाशुल्क ब्रोकरों के आयातित माल की सुविधा और शीघ्र व कुशल निकासी के लिए मार्ग-निर्देश- संबन्धित।

Sub: Guidelines to Importers/Custom Brokers for facilitating faster and efficient clearance of imported goods – Reg.

सभी आयातकों, सीमाशुल्क ब्रोकरों, आम व्यापारियों, हितधारकों और अन्यो का ध्यान आयात माल की मंजूरी के लिए विधेयक दाखिल करने के दिशानिर्देशों के संबंध में जारी बोर्ड परिपत्र सं. 09/2010 तारीख 08.04.2010 और कोचीन सीमा शुल्क की व्यापार सुविधा संख्या 09/2010 दिनांक 23.12.2010 और 11/2018 दिनांक 27.04.2018 की ओर आकर्षित किया जाता है।

Attention of all Importers, Custom Brokers, the Trading public, stake holders and others is invited to the Boards Circular No. 09/2010 dated 08.04.2010, Cochin Customs Trade Facility Nos. 09/2010 dated 23.12.2010 and 11/2018 dated 27.04.2018 regarding the guidelines for filing the Bill of Entry for the clearance of Import Consignments.

2. यह देखा गया है कि आयातक /कस्टम ब्रोकर अपने परेषणों की निकासी के लिए कई अगम बिलों के प्रथम चेक मूल्यांकन का चयन करते हैं, जिससे माल की निकासी के लिए काफी समय लग जाता है। इस संदर्भ में सभी संबंधितों को निर्देश दिया जाता है कि केवल उन मामलों में पहली बार चेक करें, जहां यह बहुत जरूरी हो, ताकि व्यापार को बेहतर सुविधा दिया जा सके।

2. It has been noticed that importers/Custom Brokers are opting for First Check assessment for clearance of their consignment in many Bills of Entry, which has significantly increased the Dwell Time for the clearance of goods. In view of the same, all concerned are directed to opt for First Check only in cases where it is absolutely necessary, so as to enable better facilitation of Trade.

3. इसके अलावा अगम बिलों के संबंध में जिसमें शुल्क छूट का दावा किया जाता है, आयातक/ कस्टम ब्रोकर यह सुनिश्चित करें कि सभी संबंधित अधिमान्य व्यापार समझौते के तहत जारी किए गए मूल प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज उनके पास हो, और इसकी प्रामाणिकता भी सत्यापित हो। प्रस्तुत किए गए सभी सहायक दस्तावेज आयातक और सीमाशुल्क ब्रोकर के अधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित और सत्यापित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि दस्तावेजों में हस्ताक्षर करने वाले का नाम और पदनाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो, और उसमें उल्लिखित विवरण पर कोई छेड़ छाड़ नहीं होने चाहिए। यह भी सूचित किया जाता है कि उत्पत्ति का मूल देश प्रमाणपत्र की रंगीन / स्कैन की गई प्रतियां इसके लिए पर्याप्त नहीं होंगी और ऐसे मामले में आयातकों को छूट के लाभ को छोड़ना पड़ेगा। मूल दस्तावेज निकासी करते समय जमा किए जाने हैं और इसे ई-संचित में भी अपलोड किया जाना है। यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि अगम बिल फाईल करते समय संबंधित मद के सामने जहां भी लागू हो एडीडी अधिसूचनाएं भी दर्ज की जानी चाहिए।

3. Further, in respect of Bills of Entry in which Duty exemptions are claimed, the importer/Custom Broker is to ensure that all the required supporting documents including the original certificate issued under the respective preferential Trade agreements are in receipt, and the authenticity of the same is verified. All the supporting documents submitted should be authenticated and attested by the authorised person of the Importer/Custom Broker. It is to be ensured that the name and designation of the signatory is clearly mentioned in the documents and details mentioned therein are not overwritten. It is also informed that Colour/Scanned copies of the Country of Origin Certificate will not suffice and in such cases the importers will have to forego the exemption benefits. Original documents are to be submitted at the time of out of charge and the same is to be uploaded in e-Sanchit as well. It is also to be ensured that ADD notifications, wherever applicable, should be mentioned against the concerned item while filing the Bill of Entry.

4. मूल उद्भव देश प्रमाणपत्र के संदर्भ में आयातक/ सीमाशुल्क ब्रोकर को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तुत किए गए आयातित माल में दर्ज किए गए विवरण आपस में मिलने चाहिए। इसके अलावा, मूल उद्भव देश प्रमाण पत्र देश पर दिखाने वाले हस्ताक्षर की प्रामाणिकता को जमा करने से पहले मूल्यांकन, एसआईआईबी इत्यादि अनुभागों में उपलब्ध अधिकृत हस्ताक्षर सूची से मिलान करके सत्यापित किया जाए।

4. In respect of the Country of Origin Certificates, the importer/Custom Broker is to ensure that the description of the imported goods as mentioned there should match with the description in the other documents submitted. Further, the authenticity of the signature appearing on the Country of Origin Certificate is to be verified against the authorized signature list available in Sections like Appraising, SIIB etc, before submission of the same.

5. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आयातक/ सीमाशुल्क ब्रोकर अपर्याप्त/ गलत विवरण, सीटीएच, यूक्यूसी और अन्य मानकों के साथ आगम बिल/ नौवहन बिल को प्रस्तुत कर रहे हैं, सभी संबंधितों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि घोषणा उचित और आवश्यकता के अनुरूप हो। विवरण अन्य आवश्यक विनिर्देशों के बाद उत्पाद का जेनरिक नाम होने चाहिए, वस्तुओं को उपयुक्त सीटीएच में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, उल्लिखित यूक्यूसी को संबंधित सीटीएच के साथ मेल खाना चाहिए और मूल्यांकन के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक विवरण होने चाहिए।

5. In view of the observation that the importer/ Custom Brokers are filing the Bills of Entries/ Shipping Bills with insufficient/ incorrect description, CTH, UQC and other parameters, all concerned are directed to ensure that the declaration are proper and as per requirements. The description should be the generic name of the product followed by other required specifications, the items should be classified in the appropriate CTH, the UQC mentioned should match with the corresponding CTH and should contain all the relevant details required for assessment.

6. यह देखा जाता है कि आयातक/ सीमाशुल्क ब्रोकर रसायन, मैकेनिकल/ विद्युत उपकरण, मशीनरी इत्यादि के आयात के मामले में आवश्यक तकनीकी साहित्य, विश्लेषण रिपोर्ट, सामग्री सुरक्षा डेटा शीट (एमएसडीएस) आदि प्रस्तुत नहीं करते हैं। उसकी सीमा शुल्क प्रयोगशाला में नमूने पर परीक्षण और विश्लेषण करने के लिए और सही वर्गीकरण को परिभाषित करने के लिए भी आवश्यक है, इसलिए इन दस्तावेजों को भी प्रस्तुत किया जाना है।

6. It is seen that the importer/Custom Brokers are not furnishing the Technical Literature, analysis Report, Material Safety Data Sheet (MSDS) etc., which is required in the case of imports of Chemicals, Mechanical/electrical apparatus, Machinery etc. As the same is required for conducting tests and analysis on the samples at the Customs Laboratory and also to define the correct classification, these documents are also to be submitted.

7. इसके अलावा, यह भी देखने में आया है कि आयातित माल में पैकेज संख्याबद्ध नहीं होते हैं, जो परीक्षा के समय यादच्छिक चयन करने में कठिनाई पैदा करते हैं, इसकी वजह से अधिकारियों को आवश्यकता से अधिक पैकेज खोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है और जिससे मंजूरी में देरी हो जाती है। इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पैकेजों को क्रमांकित किया गया है और माल की कुशल और शीघ्र परीक्षा की सुविधा के लिए उचित रूप से चिह्नित किया गया है।

7. Further, it has also come to the notice that the packages in the imported consignments are not numbered which is posing difficulty in random selection at the time of examination, compelling the officers to open more packages than required thus delaying clearance. Therefore, it is to be ensured that the packages are serially numbered and properly marked to facilitate efficient and speedy examination of the goods.

8. सभी संबंधितों का ध्यान सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46(3) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अंतर्गत प्रवेश की तारीख से तीस दिन पहले अगम बिल दाखिल करने की अनुमति देता है, लेकिन यह देखा गया है कि अधिकतर हितधारक द्वारा इस सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं। इसलिए, आयातक/सीमाशुल्क ब्रोकर्स को इस आयात का उपयोग अपने आयातित सामानों की शीघ्र निकासी के लिए और मूल्यांकन के समय किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर अंतिम मिनट की हडाबड़ी से बचने के लिए और विलंब शुल्क से भी बचा जा सकता है।

8. Attention of all concerned is also drawn to the Section 46(3) of the Customs Act which allows filing of Bill of Entry up to thirty days before the Entry Inward date, but it appears that this facility is not being availed by most of the stakeholders. Therefore, the Importer/Custom Brokers are directed to make use of this facility for speedy clearance of their imported goods and to avoid demurrage charges and last minute rush in case any clarification is required at the time of assessment.

9. आयातक/सीमाशुल्क ब्रोकरों को निर्देश दिया जाता है वे उपरोक्त बातों का संज्ञान लें और उसके अनुपालन करें। इसके कोई भी उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा और जब आवश्यक समझा जाए सीमाशुल्क ब्रोकर लाइसेंसिंग के विनियमों में निर्धारित कार्यवाही आरंभ की जाएगी। ऊपर बताए गए दिशानिर्देशों का उद्देश्य कानून के अनुपालन के साथ साथ व्यापार को सुविधाजनक भी बनाना है और व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चित करना है और इसलिए सभी हितधारकों से अनुरोध किया जाता है कि इसका अनुपालन करें। इसके अनुपालन में कोई कठिनाई हो तो अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें।

9. The Importer/Custom Brokers are directed to take cognisance of the above and comply with the same. Any violation of the same will be viewed seriously and proceedings as laid out in the Custom Brokers Licensing Regulations will be initiated as and when deemed necessary. Guidelines mentioned above are aimed at facilitating trade with compliance of law and to ensure ease of doing business and therefore compliance with the same is solicited from all the stakeholders. Any difficulty in complying with the same may be intimated to the undersigned.

Sd/-

(सुमित कुमार SUMIT KUMAR)

सीमाशुल्क आयुक्त Commissioner of Customs

डाक सूची के अनुसार सभी संबंधितों को अद्येषित।

Issued to: All concerned, as per mailing list.

//अनुप्रमाणित / ATTESTED//



//जी। अनिल कुमार G. ANIL KUMAR//

मूल्यांकक (टैरिफ यूनिट) APPRAISER (TARIFF UNIT)

F.No.S32/125/2018 AP(I). Cus.
दिनांक Dated: 07.05.2018

प्रतिलिपि Copy to :

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय शुल्क, केंद्रीय उत्पाद व सीमाशुल्क।
The Chief Commissioner, Central Tax, Central Excise and Customs.
2. आयुक्त की फाइल/ अपर आयुक्त/ सभी उप आयुक्त व सहायक आयुक्त, विकास आयुक्त (सीएसईजेड)/ सभी मूल्य निरूपक/ सभी अनुभाग/ गार्ड फाइल और डाक सूची के अनुसार।
सभी संबन्धित अधिकारियों को निदेशक दिया जाता है कि वे इसे नोट करें और निर्देशों/ परिवर्तनों का अनुपालन करें।
3. Commissioner's file/Addl Commissioners/ All D.Cs & A.Cs/ Development Commissioner (CSEZ)/ All Appraisers/ All Sections / Guard File and as per mailing list. All concerned officers are directed to note and comply with the instructions/changes
4. राजभाषा यूनिट/ Official Language Unit
5. कोचीन सीमाशुल्क ब्रोकर एसोसिएशन, कोचीन
The Cochin Customs Brokers Association, Cochin
6. फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ओर्गनइजेशन, कोचिन
Federation of Indian Exports Organisation, Cochin
7. संयुक्त महा निदेशक, विदेश व्यापार , केंद्रीय भव, कोची-682037
Jt.DGFT, Kendriya Bhavan, Kakkanad, Kochi 682037
8. नोटिस बोर्ड Notice Board